

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2026—चैत्र 10, शक 1948

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. CT-15-0001-2025--Sec-1-पांच (CT) (08).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1195 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-28-2011-1 (पांच) (05), दिनांक 15 फरवरी 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2025" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "31 मार्च, 2030" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र. CT-15-0001-2025--Sec-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-15-0001-2025--Sec-1-पांच (CT) (08), दिनांक 31 मार्च 2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश ओगरे, अपर सचिव.

Bhopal, the 31st March 2026

No. CT-15-0001-2025-Sec-1-V-(CT) .(08).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (16 of 1995), the State Government, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F A-3-28-2011-1-V (05) Bhopal dated 15th February, 2011 namely :-

AMENDMENT

In the said notification, for the figures and word "31st March, 2025", the figures and word "31st March, 2030" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

RAJESH OGREY, Addl. Secy.